

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल- DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN
क्रमांक: प्रति.-2/न.क.नियु.-2013/पार्ट II/2018/1534-40 दिनांक:- 12/06/2020

आदेश

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम-1966 संशोधित नियम-2010 एवं संशोधित नियम-2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ नर्स/कम्पा. के नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2013 दिनांक 14.08.2013 के विरुद्ध पूर्व में जारी अन्तिम चयन सूची के क्रम में 127 पदों में से 123 पदों पर चयन व माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों की अनुपालना में रिक्त रखे गये 04 पदों में से याचिका संख्या 13269/2018 व 8678/2018 में पारित अन्तरिम निर्णयाधीन रिक्त रखे गये 02 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हेतु विचाराधीन याचिका संख्या 17832/2019 व याचिका संख्या 8678/2018 के निर्णयानुसार प्रार्थिया द्वारा दायर विचाराधीन अवमानना याचिका 1081/2019 के निर्णयाधीन रखते हुये, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पत्रांक: डॉ. एस.आर.आर.आ.वि. जोधपुर/2019-20/84 दिनांक 12.05.2020 को प्राप्त नवीन संशोधित वरियता सूचीनुसार चयनित 02 अभ्यर्थियों की निम्नलिखित संशोधित प्रोविजनल वरियता सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाती है।

Unani Junior Nur./Comp. Adv. 2/2013 Cat. SC Gender All Post- 18(13+05)									
S. No.	Merit No.	Application No.	Candidate's Name	Father's Name	DOB	Gender	PHY/PHN	T Marks	Remark
1	9	5884947	VIJAY LAXMI	SHIV KUMAR	03.09.1989	F	PHN	62.27	Under Writ petition SBC Writ Pt. 13269/2018 And 17832/2019
Unani Junior Nur./Comp. Adv. 2/2013 Cat. UR Gender All Post- 61(43+18)									
S. No.	Merit No.	Application No.	Candidate's Name	Father's Name	DOB	Gender	PHY/PHN	T Marks	Remark
2	57	5873513	MADINA BANOO	NANU KHAN	01.07.1989	F_Div.	PHN	57.87	Under Writ petition SBC Writ Pt. 8678/2018 And DB Spl. Appl. 1542/2019 SB Civil Contempt 1081/2019

उक्त चयन सूची निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहेगी :-

- उक्त दस्तावेज सत्यापन माननीय उच्च न्यायालय जयपुर तथा जोधपुर में विचाराधीन एस.बी.सी. रिट याचिका सं. 8765/2018 वर्षा रानी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सी. रिट सं. 12150/2018 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 8690/2018 विजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 8837/2018 मोहन लाल करोत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 10427/2018 रतीस कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 9484/2018 राजेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सी. रिट सं. 24559/2018 रामबाबू स्वर्णकार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकेण्ड्री/ सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्म तिथि निदेशालय द्वारा सत्यापित की जायेगी।

3. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यार्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. उक्त अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय गृह जिले के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण (दिनांक 12.06.2020 को या इसके पश्चात जारी) सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, सेवा नियमों में उल्लेखित सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धूम्रपान संबंधी वचन पत्र, दहेज संबंधी शपथ, चरित्र प्रमाण पत्र (दो पृथक पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी) पुलिस द्वारा जारी प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां, विज्ञप्ति संख्या 02/2013 के अन्तर्गत जमा राशि के चालान व फार्म की प्रति एवं अन्य सुसंगत आवश्यक समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति जो आवश्यक हो, निदेशालय में जमा/सत्यापित करवानी होगी।
5. अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दण्डित कार्यवाही की जायेगी।
6. अभ्यार्थी को सत्यापन करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा एवं वह अपराधिक दण्डित कार्यवाही का भागीदार होगा।
7. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सत्यापन करने से पूर्व अभ्यार्थी को प्रस्तुत करना होगा। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यार्थियों को इस आशय का नोन ज्यूडिशियल स्टॉप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. निःशक्त अभ्यार्थियों को मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. उक्त समस्त अभ्यार्थियों को चयन सूची जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपने दस्तावेज सत्यापित निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर से करवाने होंगे। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. निर्धारित अवधि तक दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर अभ्यार्थी की पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
11. उक्त चयनित कनिष्ठ नर्स/कम्पा. के पदस्थापन आदेश दस्तावेज सत्यापन के पश्चात सक्षम अनुमोहन उपरान्त पृथक से जारी किये जायेंगे।

डॉ. उस्मान कासमी
(डॉ. मो. उस्मान कासमी)
निदेशक

क्रमांक: प्रति.-2/न.क.नियु.-2013/पार्ट II/2018/1534-40 दिनांक:- 12/06/2020
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. कुल सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
3. निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक विभाग, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, कार्यालय हाजा।
7. संबंधित अभ्यार्थी
8. रक्षित पत्रावली।

Dr. Usman
अति. निदेशक